



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
05/04/19	<p>प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंगन दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक 06.05.2019 तक इस अमर से जारी की जाती है कि वो विवादित आराजी हाल खसरा 741/0.1300, 112/2.7900, 197/0.1700, 209/0.2400, 234/0.1000, 1388/0.4900, 1440/0.1900, 1441/0.8500, 1597/1.1000, 1684/0.2500, 2154/326/0.3200, 2157/745/0.0200, 2159/1253/0.1800, 2160/327/0.3000, 2162/26/1.6400, है0 कुल किता 15 कुल रकबा 8.7700 है0 वाके ग्राम बघाना तह0 कोटकासिम जिला अलवर मे अप्रार्थीगण वादभूमि मे प्रार्थी के हक हिस्सा तक कब्जा काशत मे दखलन्दाज न करे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अपर्थीगणो को जरिये नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 06.05.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम </p> <p> 05/19 दि. 5.4.19 का प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत प्रार्थी के हक हिस्सा तक कब्जा काशत में दखलन्दाज न करे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अपर्थीगणो को जरिये नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 06.05.2019 को पेश हो। </p> <p> 2/19 पत्रावली पेश हुई। बहस का वाद अक्षर सजाई व अक्षर पेशी के साराईया किया जा चुका है। इसलिये प्रार्थना पत्र को साराईया किया जा रहा है। पत्रावली के अन्तर्गत प्रार्थी के हक हिस्सा तक कब्जा काशत में दखलन्दाज न करे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। </p> <p style="text-align: right;">  </p>